

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग


क्रमांक प.25(7)साप्र/4/2010

जयपुर दिनांक 30/3/15

कार्यालय आदेश


निम्नांकित विश्राम भवनों के प्रबन्धकों के यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा पुनर्भरण बिलों के प्रतिहस्ताक्षर हेतु राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियम-19 एवं नियम-25 के आईटम संख्या 4 एवं राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम-2013 के नियम 18(4) के अनुसार उपशासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव (क) सामान्य प्रशासन विभाग को नियन्त्रण अधिकारी घोषित किया जाता है:-

1. प्रबंधक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली
2. प्रबंधक, जोधपुर हाउस, नई दिल्ली
3. प्रबंधक, स्टेट गेस्ट हाउस चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
4. प्रबंधक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर
5. प्रबंधक, विश्राम भवन, जयपुर
6. प्रबंधक, राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई

  
(अजीत कुमार सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग
3. कोषाधिकारी, जयपुर शहर/सचिवालय/नई दिल्ली
4. उपशासन सचिव (क), सामान्य प्रशासन विभाग
5. प्रबंधक उपरोक्तानुसार
6. रक्षित पत्रावली

  
(अजीत कुमार सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग